वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या- 206 /XVII-1/2009-06(घोषणा)/2004

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01 देहरादून, 20 मार्च 2009

विषय : राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (175), बिन्सौड़-त्यूनी, देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2173, दिनांक 18 फरवरी 2008 एवं शासनादेश संख्या-1538/2005, दिनांक 15 अक्टूबर 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिन्सौड़-त्यूनी, देहरादून के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनरीक्षित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 3,30,77,000/- (रूपये तीन करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में उक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 53,50,000/- (रूपये तिरेपन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें "शिड्यूल ऑफ रेट" में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितने कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
5. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
6. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
8. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।
9. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. कार्य कराते समय निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

12. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की 'अनुदान संख्या-31' के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-01-केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता)" के मानक मद '24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जाएगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-361(P)/XXVII-3/2008-09, दिनांक 17 मार्च 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 296 (1)/XVII-1/2009-13(घोषणा)/2004, तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव।